न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2018

अपीलांट

कमला पत्नी किशनलाल पुत्र अचालाजी उम्र 58 वर्ष जाति जांगिड सुथार निवासी डायलाना कलां तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. ग्राम पंचायत डायलाना कलां तहसील देसूरी जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री सी.पी. सिंघानियां विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सी.पी. वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक : 22.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 116/2013 बउनवान कमला बनाम ग्राम पंचायत डायलाना कलां व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2017 व डिक्री दिनांक 19.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 920/1158 रकबा 0.71 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि डायलाना कलां के पुराने खसरा नंबर 143, 144, 145, 145/1, 151 क्रमषः रकबा 18 बिस्वा, 13 बिस्वा, 12 बीघा 13 बिस्वा, 2 बिस्वा एवं 8 बिस्वा कुल 22 बीघा 4 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी रामाजी पुत्र देवाजी सुथार निवासी डायलाना कलां की खातेदारी काश्त व कब्जाशुदा विघमान रहने इन अधिकारो को पुष्ट करते हुए राज मारवाड जोधपुर स्टेट का पट्टा संवत 2007 आसोज वद 3 का रामाजी के नाम जारी किया होने एवं भूमि की चारां दिशाएं वर्णित होने तथा संवत 2012 की गिरदावरी में भी इसी अनुरूप नाम दर्ज है। सन् 1965 में रामाजी का देहावसान हो जाने से उनकी पत्नी भूरी का कब्जा काश्त रहने 1972 में भूरी का देहावसान हो जाने से पुत्री जतनी पत्नी अचलाजी का कब्जा काश्त होने जिनका देहावसान हो जाने से उनकी पुत्री कमला पत्नी किशनलाल (अपीलांट) के हक अधिकार एवं कब्जा काष्त है। भू प्रबंध के दौरान नए खसरा नंबर 920 का नाप 2.71 हैक्टेयर रहा है, परन्तु रेकर्ड में मात्र 2 हैक्टेयर दर्ज किया, किन्तु 0.71 हैक्टेयर का कब्जा काश्त होते हुए भी कम दर्ज किया। तथा 0.71 हैक्टेयर भूमि के खसरा नंबर 920/1158 रकबा 0.71 हैक्टेयर का दर्ज कर दिया। उसके पष्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 920/1158 ग्राम पंचायत डायलना कलां एवं आबादी में होना अंकित कर दिया गया। जिस खातेदारी घोषित कराने बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जो कि नियमित रूप से न्यायालय के निर्धारित स्थल देसूरी में सुनवाई हेतु नियत था, किन्तु उसके पश्चात एकाएक रूप से पत्रावली हटाकर अभियान में ली जाकर बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्टगण द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 920/1158 रकबा 0.71 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 920/1158 वर्तमान में चारगाह खाते एवं गै. मुमकिन आबादी मे दर्ज है। एवं कानूनन उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के की धारा 16 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्ण व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 920/1158 रकबा 0.71 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए न्याय आपके द्वार कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 116/2013 बउनवान कमला बनाम ग्राम पंचायत डायलाना कलां व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2017 व डिक्री दिनांक 19.02.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली